

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30 वर्ष पूर्ण करने की तिथि		प्रथम/द्विती य व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	ललित कुमार कतिजा, राउमावि, फलवा पं०स० आनंदपुरी (बांसवाड़ा)	प्रधानाचार्य	22-06-1960	05-12-1989	30 YEAR	04-12-2019	05-12-2019	L-17
2	महेश चन्द्र भारद्वाज, राउमावि, लंगड़बास पं०स० किशनगढ़ बास जिला अलवर	प्रधानाचार्य	30-06-1961	18-08-1988	30 YEAR	17-08-2018	18-08-2018	L-17
3	मंजु चौहान, राउमावि, मकावल, पं०स० रेवदर जिला सिरोंही	प्रधानाचार्य	14-06-1962	08-07-1996	20 YEAR	07-08-2019	08-08-2019	L-17

नोट :-

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।
- 2 क्र०स० 3 पर अंकित मंजु चौहान द्वारा पदोन्नति का परित्याग करने के कारण दिनांक 08.08.2019 से एसीपी स्वीकृत किया गया है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

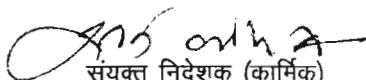
क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-3/एसीपी/2020/175

दिनांक : 19/08/2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 3- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा
- 4- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5- संबंधित अधिकारी/संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी

6- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर